न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—286/2021/225 आर.टी.एक्ट (2021/286)

1. शकुन्तला देवी पत्नि रामदेव जाति कोली निवासी 16 नम्बर गली प्लाट नम्बर 32 शिव शक्ति कॉलोनी तानाजी नगर, भजनगंज, अजमेर
2. गायत्री पत्नि ओमप्रकाश
3. ओमप्रकाश पुत्र जग्गू सिंह
   दोनों जाति कोली निवासी 235 सेक्टर 7 गांधीधाम कच्छ गुजरात हाल निवासी अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. अमरचन्द दत्तक पुत्र छगना(फौत)
   1/1 आशा बेवा स्व0 श्री अमरचंद
   1/2 मोनिका पुत्री स्व0 श्री अमरचंद
   1/3 किरण पुत्री स्व0 श्री अमरचंद
   1/4 विकास पुत्र स्व0 श्री अमरचंद
   समस्त जाति जाट निवासी ग्राम सराधना जिला अजमेर।
2. कमला पुत्री छगना
3. छोटी पुत्री छगना
4. पांची पुत्री छगना
   समस्त जाति जाट निवासी ग्राम सराधना जिला अजमेर।
5. जितेन्द्र कुमार पुत्र चेतनराज जाति अग्रवाल निवासी रामा वैकुन्टनाथ मंदिर, पुष्कर रोड, अजमेर।
6. श्रीमती मृदुला पत्नि श्री मनोज मित्तल
7. श्रीमती राखी अग्रवाल पत्नि श्री अजीत अग्रवाल
   दोनों जाति अग्रवाल निवासी आनासागर लिंक रोड, अजमेर।
8. अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर जरिए सचिव।
9. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध आदेश दिनांक 22.10.2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर केम्प कोर्ट ग्राम सराधना राजस्व वाद संख्या 10/2019

उपस्थितः—

1. श्री शिवप्रकाश चौधरी अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री पुष्पेन्द्रसिंह अभिभाषक अपीलांट संख्या 3
3. श्री पप्पूराम कुमावत अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 1/4, 2 से 4
4. श्री मदनपुरी गोस्वामी रेस्पोडेंट संख्या 6 व 7
5. श्री विकास पाराशर राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 9
6. रेस्पोडेंट संख्या 5 व 8 अनुपस्थित

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

निर्णय

दिनांकः—30.04.2025

Scanned with CamScanner

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर केम्प कोर्ट ग्राम सराधना द्वारा प्रकरण संख्या 10/2019 में पारित आदेश दिनांक 22.10.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी किए गए रेस्पोडेंट संख्या 2 से 4 की ओर से जरिये अभिभाषक अण्डर टेकिंग पेश की जिनके द्वारा उपस्थित नहीं होने से दिनांक 4.2.2021 को उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई एवं तत्पश्चात अपीलांट्स द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी. सी. प्रस्तुत कर अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर को पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया एवं एक अन्य प्रार्थना पत्र बाबत् बनाये जाने पक्षकार भी अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया तत्पश्चात अपीलांट्स द्वारा दिनांक 11.2.2021 को आपत्ति प्रार्थना पत्र बाबत मौका रिपोर्ट दिनांक 18.12.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत किया जिस पर पत्रावली बहस हेतु विचाराधीन थी व उपरोक्त पत्रावली में आगामी तारीख पेशी दिनांक 11.11.2021 की नियत की हुई थी इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलांट्स को लोक अदालत का नोटिस जारी किये बगैर एवं बिना दिनांक 11.11.2021 की दिनांक को छोटी किये बगैर सरसरी तौर पर एकतरफा में पत्रावली को लोक अदालत मजमे आम प्रशासन गांव के संग कैम्प सराधना पर नियत कर एकतरफा में विपक्षी अभिभाषक एवं विपक्षीगण से सांठ गांठ कर प्रकरण को दिनांक 22.10.2021 को अपीलांट्स के प्रार्थना पत्र को खारिज करने का आदेश पारित कर दिया। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर केम्प कोर्ट ग्राम सराधना द्वारा प्रकरण संख्या 10/2019 में पारित आदेश दिनांक 22.10.2021 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्षों द्वारा की गई बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 5 व 8 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, अजमेर ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि लोक अदालत में सिर्फ उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें दोनों पक्षकार सहमत हों एवं कोई राजीनामा किया जा रहा हो इसके बावजूद भी उपखण्ड अधिकारी, अजमेर ने अपने में निहित क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर बिना अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर दिये बगैर अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज करने में त्रुटि कारित की है। उपखण्ड अधिकारी, अजमेर ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के तहत अपीलांट्स को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिया जाना न्यायिक रूप से अनिवार्य था इसके बावजूद भी उपखण्ड अधिकारी, अजमेर ने प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के विरूद्ध जाकर निर्णय पारित किया है। उपखण्ड अधिकारी अजमेर ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

उनके द्वारा प्रकरण में दिनांक 30.9.2021 से दिनांक 11.11.2021 की तारीख पेशी नियत की हुई थी इसके बावजूद भी प्रकरण को बिना अपीलांट्स को सूचित किये बगैर पत्रावली को दिनांक 22.10.2021 को नियत कर एकतरफा में जो निर्णय पारित किया है वह विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर पारित किए जाने से काबिल निरस्त किए जाने योग्य है। उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में दिनांक 26.8.2021 को स्पष्ट रूप से अंकित किया हुआ है कि पत्रावली वास्ते तलबी आदेश 1 नियम 10 सीपीसी एवं रेस्पोडेंट संख्या 6 की तलबी एवं आपत्ति मौका रिपोर्ट के बाबत नियत थी इसके बावजूद उपखण्ड अधिकारी, अजमेर ने अपने में निहित क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर प्रकरण बहस हेतु परिपक्व नहीं होने के बावजूद भी पत्रावली को केम्प में नियत कर अपीलांट्स के प्रार्थना पत्र को खारिज करने में त्रुटि कारित की है। उपखण्ड अधिकारी, अजमेर ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि तहसीलदार अजमेर द्वारा मुर्तिब रिपोर्ट दिनांक 18.12.2019 के बिन्दु संख्या 1 में यह स्वीकार किया है कि प्रस्तावित आराजी पर आवागमन हेतु लघुतम एवं दीर्घतम रास्ता उपलब्ध नहीं है इसके बावजूद भी तहसीलदार ने अन्त में अपने द्वारा एकतरफा में मुर्तिब रिपोर्ट में यह अंकित कर दिया कि जिस खसरा नम्बर से रास्ता चाह रहे हैं वहां से रास्ता दिया जाना संभव नहीं है एवं उस एकतरफा मौका रिपोर्ट को आधार मानकर उपखण्ड अधिकारी, अजमेर ने रास्ता नहीं दिये जाने का आदेश पारित कर दिया जबकि उपरोक्त एकतरफा मौका रिपोर्ट के बाबत् अपीलांट्स के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई थी जिस पर सुनवाई होना शेष था इसके बावजूद भी बिना आपत्ति प्रार्थना पत्र पर सुनवाई किये बगैर अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज करने में त्रुटि कारित की है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर केम्प कोर्ट ग्राम सराधना द्वारा प्रकरण संख्या 10/2019 में पारित आदेश दिनांक 22.10.2021 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि प्रार्थीगण खसरा नम्बर 3881, 3881/6989 एवं 3881/6990 की पश्चिमी सीमा से रास्ता वाहा गया है उक्त खसरा नम्बर 3881/6989 एवं 3858 हमारे नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने पर हमारी भूमि के बीच में से रास्ता निकल जायेगा और खसरा संख्या 3881/6989 अलग जायेगा जिसके कारण मेरी खातेदारी भूमि का कोई उपयोग नहीं रह जायेगा साथ ही खसरा संख्या 3881/6989 एवं 3881/6990 पर मौके पर पाल है जो प्रतिबन्धित श्रेणी में आती है और हमारे व अन्य खातेदार की भूमि की बाड के रूप में भी कार्य कर रही है बीच में रास्ता दिये जाने पर उक्त पाल का हमारे व अन्य खातेदारों हेतु कोई उपयोग नहीं रह जायेगा प्रार्थना पत्र में अंकित खसरो में से प्रार्थीगण के ज्यादातर खसरे पाल के पूर्व दिशा की ओर है ऐसी स्थिति में इन्हें पाल के पश्चिम से रास्ते की अपेक्षा पूर्व की ओर से रास्ता दिये जाने पर सुगमता होगी। प्रार्थीगण के ज्यादातर खसरे पाल के पूर्व की ओर है ऐसी स्थिति में पश्चिम से रास्ते हेतु आवेदन करना उचित एवं न्यायहीत में नहीं है। पश्चिम से रास्ता दिये जाने पर खसरा नम्बर 3858 एवं 3881/6989 जो एक ही खातेदारो की है के बीच रास्ता दिये जाने पर खसरा नम्बर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

3881/6989 गैर मुमकिन पाल का कोई उपयोग नहीं रह जायेगा अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप कि आवश्यकता नहीं है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

6. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर केम्प कोर्ट ग्राम सराधना द्वारा प्रकरण में आदेश दिनांक 22.10.2021 को पारित किया गया। अपीलांट द्वारा उक्त आदेश से व्यथित होकर न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत कर अपील के माध्यम से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायायल द्वारा प्रकरण को लोक अदालत में नियत कर अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिए प्रकरण में निर्णय पारित किया गया। तहसीलदार द्वारा तैयार एकपक्षीय मौका रिपोर्ट बाबत भी अपीलांट द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई परंतु उक्त आपत्ति बाबत भी अपीलांट को सुने बगैर प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। न्यायालय हाजा द्वारा जब अपीलांट द्वारा कहे गए कथनों का परीक्षण किया गया तो पाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण को बिना किसी सूचना प्रसारित किए प्रकरण को लोक अदालत में नियत किया जाकर प्रकरण का निस्तारण किया गया। चूंकि इस बाबत अपीलांट को किसी प्रकार की सूचना प्रेषित नहीं की गई। भूअभिलेख निरीक्षक सराधना द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट दिनांक 18.12.2019 भी बिना अपीलांट की मौजूदगी में तैयार कि गई है। क्यों कि उक्त मौका रिपोर्ट पूर्ण रूप से एकतरफा तौर पर तैयार की गई है। उक्त मौका रिपोर्ट बाबत अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायलय के समक्ष प्रार्थना पत्र बाबत आपत्ति मौका रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आपत्ति प्रार्थना पत्र का बिना गुणावगुण पर अवलोकन किए व उसका निस्तारण किए बिना उक्त प्रकरण में निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण को लोक अदालत में नियत किया गया। परंतु लोक अदालत में उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिनमें उभयपक्षकारान की सहमति हो व दोनों पक्ष उपस्थित हो परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलांट की उपस्थिति में प्रकरण का निस्तारण किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में निस्तारण किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट बाबत यह अवलोकन नहीं किया गया कि उक्त मौका रिपोर्ट पूर्ण रूप से एकपक्षीय है जिसमें किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर नहीं है और ना ही किसी मौतबिरान की उपस्थिति में उक्त मौका रिपोर्ट बनाई गई है। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के माध्यम से कहे गए कथन सदभाविक है तथा उनके द्वारा कहे गए कथनों को उनके द्वारा बखूबी साबित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय त्रुटिपूर्ण है। जिसमें विधिक व तकनीकि त्रुटि कारित की गई है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय निरस्त किए जाने योग्य है।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

न्यायिक दृष्टांत 2017 आर0बी0जे0 पेज 687:– **RAJASTHAN TENANCY ACT 1955-** *Section 251A Rajasthan Tenancy Act and (government) Rules 1955. Rule 69- Order regarding way passed without Comliance of mandatory provision of rule 69 is not maintainable.*

उक्त प्रकरण में नियम 69 की पालना नहीं की गई है, उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए उनकी उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए थी, जो कि नहीं की गई है। उक्त प्रकरण पर न्यायिक दृष्टांत 2017 आर0बी0जे0 पेज 687 पूर्णरूप से चस्पा होते है।

उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है। अतः इसी क्रम में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश खारिज किए जाने योग्य है व प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर केम्प कोर्ट ग्राम सराधना द्वारा प्रकरण संख्या 10/2019 में पारित आदेश दिनांक 22.10.2021 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि उभयपक्षकारान को प्रकरण में समुचित साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुए, उभय पक्षकारान की उपस्थिति में तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार करवाई जाकर उनसे आपत्ति प्राप्त कर, आपत्ति का निस्तारण करते हुए प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के प्रावधानों यथा रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता, वैकल्पिक मार्ग का अभाव व लघुत्तम मार्ग तीनों को ध्यान में रखते हुए पुनः विस्तृत रूप से गुणावगुण पर आदेश पारित करें। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष दिनांक 14.05.2025 को उपस्थित रहने के लिए पावंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

30/04/2025

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner